राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों के सम्बध में आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. ऑनलाईन भरा गया विस्तृत अवेदन पत्र मय अटेस्टेशन फॉर्म (स्वहस्ताक्षरित फोटो व राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित) और प्राथमिकता क्रम के दो प्रतियों में संलग्न करें।

2. समस्त मूल दस्तावेज साथ लाने है। विस्तृत आवेदन पत्र के ऑनलाईन शुल्क रूप में जमा 50/– रू. की रसीद भी संलग्न करें तथा विस्तृत आवेदन पत्र की 02 प्रतियो में यथास्थान पर फोटो चस्पा करते हुए 02 अतिरिक्त फोटो साथ लावें।

3. दस्तावेज के रूप में सैकण्डरी/सी.सैकण्डरी/स्नातक/स्नातकोत्तर व अन्य शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिकाएँ और सर्टिफिकेट/उपाधि संलग्न करें।

4. यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो सेवा प्रमाण पत्र और एन.ओ.सी. संलग्न करें।

5. निम्नांकित वर्ग में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी विशेष ध्यान रखें:–
   A. **NGE/RG**- इस वर्ग में आवेदित अभ्यर्थी नियुक्ति दिनांक से वर्तमान तक की सेवा का सेवा प्रमाण पत्र और विभागीय एन.ओ.सी. भी संलग्न करें।
   B. **SA**- अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण–पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात् का जारी प्रस्तुत करें।
   C. **EX-** भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी एक्स–सर्विसमेन की डायरी, पेंशन/पी.पी.ओ कार्ड संलग्न करें। यदि राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत नही हैं, तो दोहरे लाभ प्राप्त नही करने का शपथ पत्र संलग्न करें। सेना में रहते हुए एन.ओ.सी. के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी एन.ओ.सी. संलग्न करें। यदि सेना से सेवानिवृत्ति के उपरान्त कहीं सेवारत है तो विभाग द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र, एन.ओ.सी. और सेवा में कार्यग्रहण के समय आर.ए.एस. परीक्षा–2023 में आवेदन किये जाने की सूचना का स्पष्ट प्रमाण संलग्न करें।
   D. **DC**- इस वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्ति दिनांक से वर्तमान तक की सेवा का सेवा प्रमाण पत्र और एनओसी भी संलग्न करें।
   E. **DV**- इस वर्ग के अभ्यर्थी तलाक की डिक्री एवं पुनर्विवाह किये जाने/नहीं किये जाने सबंधी स्वघोषणा पत्र संलग्न करें।
   F. **WD**- इस वर्ग के अभ्यर्थी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पति से लिंक दस्तावेज–मूल निवास/विवाह पंजीयन/राशनकार्ड अथवा अन्य कोई प्रामाणिक आई.डी. संलग्न करें। पुनर्विवाह किये जाने/नहीं किये जाने सबंधी स्वघोषणा पत्र संलग्न करें।
   G. **SC/ST/OBC/MBC/EWS**- कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 व 17.10.2022 के अनुसार **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग** के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 31.07.2023 तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था

6. अभ्यर्थी आवेदन में अंकित स्वयं/पिता/माता का नाम और शैक्षणिक दस्तावेजो में अंकित नाम का मिलान कर लें। जिन अभर्थियों के स्वयं/पिता का नाम/माता का नाम में स्पेलिंग/सरनेम में अन्तर/त्रुटि है, वे अभ्यर्थी आवश्यक शपथ पत्र/गजट नोटिफिकेशन की प्रति भी साथ लावें।

7. **इसके अतिरिक्त साक्षात्कार पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।**